	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY मंडल कार्यालय DIVISIONAL OFFICE कार्मिक विभाग PERSONNEL DEPARTMENT किंग्सवे , नागपुर KINGSWAY, NAGPUR - 440001.

अधिसूचना क्र. पी/एनएजी/आरसीटी/2025/9 दिनांक- 21.06.2025

गति शक्ति इकाइयों में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति
Re-engagement of retired Railway staff in Gati Shakti Units

विषय: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में गति शक्ति इकाइयों (जीएसयू) की सेवाओं की आवश्यकता के मद्देनजर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति |

संदर्भ:- 1. रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2021/W-1/Genl./Gati Shakti दिनांक 27-07-2022.
2. पीसीपीओ/एसईसीआर पत्र संख्या P-HQ/GSU/1721 दिनांक 26.09.2022.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में गति शक्ति इकाइयों (जीएसयू) में निम्नलिखित पद के लिए दिए गए श्रेणियों / विभाग के सेवानिवृत्त रेलवे पर्यवेक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: -

Application is hereby invited from retired railway supervisors of given categories/department for following post in Gati Shakti Units (GSUs) in Nagpur division of S.E.C.Railway :-

Sr. No.	Department	Category	No.of Staff to be engaged	Required Medical Fitness
1	Engineering	SSE(P.Way))	1	A-3
2	Electrical	SSE(Elect General)	1	B-1
		TOTAL=	02	

कृपया निम्नलिखित नियम व शर्तों पर ध्यान दें:-

The following terms and conditions may kindly be noted:

1. आवेदक निर्धारित प्रारूप (Annexure-1) में आवेदन कर सकते हैं और स्कैन की गई (पीडीएफ) प्रति को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक ईमेल आईडी srdponagpur@gmail.com पर भेज सकते हैं :-
   (ए) सेवा प्रमाण पत्र
   (बी) पेंशनर पहचान पत्र
   (सी) पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.)

   Applicants may apply in the prescribed format (Annexure-1) and send the scanned (PDF) copy along with required following document in official email ID srdponagpur@gmail.com.
   (a) Service Certificate
   (b) Pensioner Identity Card
   (c) Pension Payment Order (PPO)

2. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **11.07.2025** है। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
The last date for submission of the application is **11.07.2025**. The applications received after this date shall not be accepted.

3. साक्षात्कार के माध्यम से चयन दिनांक **17.07.2025** को **11.00** बजे वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी/नागपुर के कक्ष में आयोजित किया जाएगा।
The selection through interview is scheduled to be held on **17.07.2025 at 11.00 hrs** in the chamber of Sr.DPO/Nagpur.

4. पुनर्नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।
Re-engagement shall be for a period of one year.

5. सभी रेलवे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होंने अधिसूचना की अंतिम तिथि तक 64 वर्ष 6 महीने की आयु प्राप्त नहीं की है (पुनर्नियुक्ति के बाद कम से कम 06 महीने की सेवा उपलब्ध है यह सुनिश्चित करने के लिए) ऐसी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। किसी भी पुनर्नियुक्त कर्मचारी को 65 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
All the Railway Retired Staff, who have not attained 64 years 6 months as on closing date of notification (to ensure at least 06 months service is available after the re- engagement) shall be eligible for such re-engagement. No re-engaged employee shall be allowed to continue in service beyond 65 years of age.

6. अनुशासन व अपील कार्रवाई के परिणामस्वरूप या सेवा समीक्षा (नियम-56 जे) के तहत हटाए गए / बर्खास्त / अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा , सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना (एसआरआरएस)/एलएआरएसजीईएसएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी भी पात्र नहीं हैं।
The employees Removed / Dismissed/ Compulsory retired as a result of DAR action or under Service Review (Rule-56j) are not eligible for re-engagement. Further employees retired under Safety Related Retirement Scheme (SRRS)/LARSGESS are also not eligible.

7. यदि किसी कर्मचारी का कार्य/आचरण असंतोषजनक पाया जाता है तो प्रशासन को उसकी सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही 15 दिन का नोटिस देकर सेवा समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी सेवा समाप्त करने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा।
The Administration will have liberty to terminate the services of the re-engaged employees even before completion of his/her term in case their work /conduct is found unsatisfactory by giving a Notice of 15 days. The re-engaged retired staff should give a notice of 15 days before discontinuing his/her service.

8. अनुबंध अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन को घटाकर प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
A fixed monthly amount shall be admissible as remuneration during the contract period, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract.

9. अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और एचआरए की अनुमति नहीं दी जाएगी।
No increment, Dearness Allowance and HRA shall be allowed during the term of contract.

10. एक निश्चित परिवहन भत्ता दिया जाएगा जो सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगा।
A fixed Transport Allowance not exceeding the rate applicable at the time of retirement shall be allowed.

Mahabharti.in

11. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता मौजूदा नियमों के अनुसार देय होगा।
The TA/DA shall be payable as per extant rules.

12. प्रत्येक पूर्ण सेवा माह के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। पुनर्नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जा सकती।
Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service . Accumulation of leave beyond one year from date of re-engagement may not be allowed.

13. सेवानिवृत्त पुनर्नियुक्त कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति की सभी शर्तों का पालन करने के लिए 20 रुपए के स्पेशल एडहेसिव स्टैंप के साथ नोटरीकृत अनुबंध निष्पादित करना होगा।
The retired re-engaged employee shall execute a notarized agreement with Rs.20/ Special Adhesive Stamp to abide by all the terms and conditions of the re-engagement.

14. हिंदी में किसी भी शब्द की गलती या अनुवाद के मामले में, अंग्रेजी संस्करण का अनुसरण किया जा सकता है|
In case of any mistake or translate of words in Hindi, English version may be followed.

Digitally Signed by Swetha Hk Chhoriya
Date: 23-06-2025 10:52:39
Reason: Approved

मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी
द.पू.म.रेलवे, नागपुर

Mahabharti.in

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

South East Central Railway

Annexure-1

स्वयं प्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ यहां चिपकाएं

सेवा में,
मं. रेल प्रबंधक ,
द.पू.म.रेलव नागपुर

विषय:– द.पू.म.रेलवे के नागपुर मंडल में गति शक्ति इकाइयों (जीएसयू) की सेवाओं की आवश्यकता के मद्देनजर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन ।

संदर्भ:- अधिसूचना क्र. पी/एनएजी/आरसीटी/2025/9 दिनांक- 21.06.2025

मैं उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर गति शक्ति इकाइयों (जीएसयू) नागपुर में पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करता हूँ।

I hereby apply for re-engagement in Gati Shakti Units(GSUs) Nagpur on monthly remuneration basis , on terms and condition mentioned in said notification.

सेवा विवरण नीचे हैं: -
Service particulars are below : -

Name (In Capital letter)					
Aadhar No.					
Designation & Level at the time of retirement					
Division/Unit/Department from where retired					
Date of Birth					
Date of Retirement					
Age as on 21.06.2025(YYYY-MM-DD)	Year	Month	Day		
Write your APAR grading of last 05 years before retirement(Outstanding, Very good, Good)					
Address for correspondence					
e-mail id					
Contact No.					
Last Pay Drawn-Pay Band/Pay Level					
PPO No.					
Enclosure(copy of document enclosed in pdf format) (a) Service Certificate (b) Pensioner Identity Card (c) Pension Payment Order (PPO)					

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है और यदि यह गलत/झूठी पाई जाती है तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने अधिसूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूँगा।

I declare that the information furnished above is true to best of my knowledge and I am liable for punitive action if found false/incorrect. I also declare that I have gone through the terms and condition stipulated in the notification and I shall abide by them .

स्थान
तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर